## न्यूनतम मजदूरी अधिनियम—1948 के अन्तर्गत 59 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं० 194/36-3-2014-07(न्यू०वे०)/04, दिनांकः 28.01.2014 द्वारा 59अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्नकारों हेतु नजदूरी की मूल दरों एवम् देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी हैं, उनकी दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुकम में निम्नांकित 59 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकाँक आधार वर्ष (2001=100) माह जुलाई, 20-2 से दिसम्बर, 2012 के औसत 216 अंकों के ऊपर जुलाई, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक के औसत अंक 301.33 के पूर्णीकेंत औसत 301 ( तीन सौ एक) अंकों पर दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 30.09.2019 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भांति गणना करके देय होगा:-

इष्टांत - रूपये 3750.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 301 पर दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 30.09.2019 तक की अवधि हेतु देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्न प्रकार देय होगा:-

(301 - 216)

-X 5750 = रू0 2262.73 प्रतिमाह

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, मासिक एवम् दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत् हैं:-

0	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी	प्रतिमाह परिवर्तनीय मं	हगाई भत्ता (रूपये में)	दिनांक 01.04.2019 से दिनांट 30.09.2019 तक	
		(रूपये में)	दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक	दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 30.09.2019 तक	कुल मजदूरी(रूपये में)	दैनिक मजदूरी (रूपये मे)
1	2	3	4	5		
1	अकुशल	5750.00	1925.45	3	6	7
2	अर्द क्शल	6325.00		2262.73	8012.73	308.18
3	কুহাল		2118.00	2489.00	8814.00	
	guer	7085.00	2372.49	2788.08		339.00
				2700.00	9873.08	379.73

## नियोजनों के नाम :-

- रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद (टायर और टयूब सहित) के उद्योग।
- प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग। 2.
- मिष्ठान उद्योग। 3.
- वासित पेयों (एरेटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण। 4.
- फलों के रसों की विनिर्माणशाला। 5.
- परतदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग।
- 7. पेट्रोल और डीजल आयॅल पम्प।
- 8. डेरी और मिल्क डेरी।
- 9. सिले सिलायें कपड़ों की विनिर्माणशाला।
- 10. बाँच तटबन्च के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
- 11. उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
- 12. प्राइवेट अस्पताल (नर्सिंग होम्स) एवम् प्राईवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरी सामान की दुकानों।
- 13. ढलाई घर।
- 14. धातु उद्योग।
- 15. दिन प्लेट शेपिंग और दिन प्रिटिंग।
- ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों ।
- 17. चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माण शाला।
- 18. चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
- 19. होजरी संकर्म।
- 20. निजी पुस्तकालय।
- 21. काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
- 22. प्राईवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाएं भी सम्मिलित हैं।
- 23. तम्बाक् विनिर्माण।
- 24. धर्मशाला।
- वानिकी (फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
- वाणिज्य अधिष्ठान।
- चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
- 29. तेल मिल।
- 30. लोक मोटर परिवहन।
- 31. बात्रिक परिवहन कर्मशाला।
- बादोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
- 33. सङ्जें के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण संक्रियाओं।
- 34. पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
- 35. चिकन के कार्य।
- 36. दियासताई उद्योग।
- 37. उड्डिकेडी / आइस्क्रीम विनिर्माणशाला।
- 38. बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
- 39. बर्फ विनिर्माणशाला।

- एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।
- लाण्ड्री और धुलाई अधिष्ठान। 41.
- जिल्दसाजी। 42.
- 43. कोल्ड स्टोरेज।
- 44. पाटरी, सिरैमिक्स या रिफैक्ट्रीज।
- 45. निजी मुद्रणालय।
- 46. सिनेमा उद्योग।
- 47. कपड़ा छपाई।
- 48. सिलाई उद्योग
- 49. एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मेसी।
- 50. क्लब।
- 51. हथकराया (सिल्क की साड़ी की बुनाई ) जरी के कार्य।
- 52. कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का चूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण।
- 53. ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान।
- 54. खाण्डसारी।
- 55. हथकरघा उद्योग।
- 56. शक्ति चालित करघा उद्योग।
- 57. छोटा (मिनिएचर) बल्ब एवम् कॉच उत्पादों के निर्माण।
- 58. कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
- 59. ईंट भट्ठा उद्योग।

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

## कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।

पत्र सं०- 1069-95 /प्रवर्तन-(एम०डब्लू०) /15

दिनांक 24.05 - , 2019

समस्त क्षेत्रीय अपर /उप श्रम आयुक्त, उ०प्र०, को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, प्रतिलिपि:-सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध कराएं।

अनुसचिव उ०प्र० शासन, श्रम अनुभाग–3, लखनऊ ।

- सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (वेज सेल) भारत सरकार नई दिल्ली को ई-मेल wagecell@nic.inके माध्यम से। 2. 3.
- अधिशासी निदेशक उद्योग बंधु लखनऊ। 4.

उप श्रमायुक्त, (आई०आर०), मुख्यालय।

अपर श्रमायुक्त, (कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.inपर अपलोड कराने हेतु।

श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।

समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ। 7.

> (राजेश मिश्रा ) उप श्रम आयुक्त, उत्तर ग्रदेश, कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।